न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(1) अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/13/2024	20–02–2024	15–05–2024

1. रविकान्त पुत्र पदम चन्द बिन्दल जाति महाजन निवासी बिजलीघर तिराहे के पीछे तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. पदम चन्द बिन्दल पुत्र स्व0 उमरावसिंह जाति महाजन निवासी वार्ड न0 13 मौहल्ला केसरवाडी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2. पंकज कुमार बिन्दल पुत्र पदम चन्द बिन्दल जाति महाजन निवासी बिजलीघर तिराहे के पीछे तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी तिजारा मुकदमा संख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 02.09.2019

(2) अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/08/2023	31.10.2023	15.05.2024

1. पंकज कुमार बिन्दल पुत्र पदम चन्द बिन्दल जाति महाजन निवासी वार्ड न0 13 मौहल्ला केसरवाडी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

1. अपीलान्ट

बनाम

1. पदम चन्द बिन्दल पुत्र स्व0 उमरावसिंह जाति महाजन अजीनवीस तहसील परिसर तिजारा निवासी वार्ड न0 13 मौहल्ला केसरवाडी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी तिजारा मुकदमा संख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 02.09.2019

उपस्थितः–

01. श्री नरेश कुमार गोयल/दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलान्ट
02. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

उक्त दोनो अपीले अपीलान्टस द्वारा उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं। दोनों अपीलों के पक्षकार एवं विषयवस्तु समान होने के कारण दोनो अपीलो का निस्तारण एक साथ सम्मिलित किया गया। बहस सुनी जाकर निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संलग्न की जावे।

अपीलान्टस ने यह अपीले उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 से व्यथित होकर पेश की है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 01.01.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पदमचन्द बिदल द्वारा मिन अपीलान्ट को एक लिखित बटवारानामा लिखकर अलग कर दिया जिसमें पदमचन्द बिन्दल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पास एक मकान, एक दुकान रख ली और अपीलान्ट को कोई जायदाद/प्रोपर्टी में हिस्सा नही दिया गया। बल्कि अपीलान्ट से यह कहा गया कि दिनाक 31.10.2002 से अपना अलग लाईसेन्स लेकर अलग कारोबार करे। तब से अपीलान्ट अपना अलग लाईसेन्स व जगह लेकर अपना अलग कारोबार कर रहा है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खुद नक्शानवीस है, नक्शा बनाता है, दुकान है, जिसका किराया आता है, जिसके पास आय के काफी साधन है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पंकज के साथ रहकर अपीलान्ट परिवार सहित जीवन निर्वाह कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पदमचन्द आदतन अययास किस्म का आदमी है, जिसके पास जितने पैसे आते है, वो सारे वैश्यावृति में व शराब पीने में खर्च कर देता है, जो कई बार घर से पैसे चोरी करके ले गया तथा बाजार में भी काफी लोगो से पैसे उधार ले लेता है, झूंठ बोलता है, बाजार के काफी लोगो से उधार लिये पैसो को अपीलान्ट ने दिये है। जो पैसे उसके पास आते है, व बाजार से उधार उठाता है वो सारे पैसे अपने गलत शोक पूरे करने में खर्च करता है। मिन अपीलान्ट व उसके भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कई बार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को समझाया है, लेकिन वो समझने को कतई तैयार नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पैसे नही देने पर मिन अपीलान्ट व उसके भाई के साथ लडाई झगडा करता है। मकान दुकान बेचने की धमकी देता है। झूठे मुकदमो में फसाने की धमकी देता है, इसी कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलान्ट को झूठ बोलकर व अपनी आत्महत्या करने की धमकी देकर उक्त वाद न्यायालय में दायर कर आदेश पारित करवाये है। तहत अदालत द्वारा सिनीयर सिटीजन अधिनियम के नियम 10,11 व 12 सुलह अधिकारी न तो नियुक्त किया गया है, न ही

पक्षकारो की आपस में मिटिग करायी न ही उनसे दिर्देश प्राप्त किये जो कि आदेशात्मक/निर्देशात्मक कार्यवाही है, जिससे उपरान्त ही अन्तरिम/स्थाई आदेश पारित किये जा सकते है। उनवानी प्रकरण में तहत अदालत द्वारा बिना किसी साक्ष्य और बिना किसी दस्तावेज को प्रदर्श किये पारित किये गये है, जो कानूनन समरी ट्रायल के अन्तर्गत आता है। जिसमें अन्तरिम आदेश तो बिना साक्ष्य, प्रदर्श के पारित किये जा सकते है, परन्तु स्थाई आदेश सीनियर सिटीजन अधिनियम के नियम 07 के अन्तर्गत बिना साक्ष्य बिना प्रदर्श के पारित नही किये जा सकते है। तहत अदालत दारा प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप हो गयी थी, जिसको पुनः नम्बर पर लिया गया है, पारित आदेश दिनाक 02.09.2019 मुकदमा संख्या 02/2013 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर कार्यवाही करते हुये गैरयायल को 2500–2500/रूपये अदा करने के आदेश जारी किये है। उक्त आदेश में नोटिस दिनाक 16.01.2024 को जारी किये गये है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर अविलम्ब अपील दायर की गयी है, इस प्रकार अपीलान्ट को पुनः जानकारी का समय को कन्डोन फरमाया जावे इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.09.2019 को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वसीका नवीस व नक्शा नवीस है, जो तहसील परिसर तिजारा में पुख्ता निर्मित बरामदा बनाकर अपीलान्ट के साथ बैठकर अपना व्यवसाय करता है, और अपीलान्ट पंकज कुमार के साथ वार्ड न0 13 मौहल्ला केसरवाडी में पुश्तैनी मकान में अपनी पत्नी के साथ निवास करता है, अपीलान्टस मिन रेस्पोडेन्ट के सगे पुत्र है, जो बिना वजह रेस्पोडेन्ट से बिना वजह दिली रंजिश रखते है, और अपना व्यवसाय कारोबार भी नही करने देते है, और आये दिन तंग व परेशान कर रेस्पोडेन्ट का जीवन दुर्भर कर दिया गया है, मिन रेस्पोडेन्ट के साथ बुरी तरह से कई बार मारपीट कर चुके है। रेस्पोडेन्ट एक वृद्व सिटीजन व्यक्ति है, जिसकी रोजी रोटी का कोई सहारा नही है, और न ही रहने का कोई मकान है। अपीलान्टस तहसील परिसर में बैठकर अपने–अपने व्यवसाय से 50,000/ 50,000/ रूपये प्रतिमा आय कर लेते है। रेस्पोडेन्ट उक्त कृत्य से बेरोजगार व बेसहारा हो गया है, और काफी बीमार रहता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट रविकान्त बिदल, पंकज कुमार बिदल के विरूद्व तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष सीनियर सीटिजन एक्ट 2007 व राजस्थान माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण –पोषण नियम 2010 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें विधिवत निर्णय दिनाक 02.09.2019 को पारित करते हुये अपीलान्ट रविकान्त बिन्दल, पंकज बिन्दल को 2500/, 2500/ रूपये मासिक रेस्पोडेन्ट को अदा करने करने हेतु पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट अपने जीवन यापन के लिये प्रतिमाह अलग–अलग 5000/ 5000/ रूपये व पुश्तैनी मकान में रहने की व्यवस्था

करायी जावे। ताकि रेस्पोडेन्ट अपना बाकी जीवन सुख चैन व शान्ति से बसर कर सकें। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा विद्वान अभिभाषगणों द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तों का सादर अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के विरूद्व यह अपीले कमशः दिनाक 20.02.2024, 14.10.2019 को पेश की गयी है, यानि कि करीब 4 साल 5 माह ./एक माह पश्चात दिवस विलम्ब से पेश की है। अपील पेश करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं किया है। फिर भी न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट द्वारा अपीलों में उठाये गये बिन्दू सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 जिनके द्वारा अपीलान्टस रविकान्त बिदल व पंकज कुमार बिदल को 2500/, 2500/ रूपये मासिक राशि रेस्पोडेन्ट पदम चन्द बिदल को प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अदा किये जाने एंव गत महीनो की राशि आदागी का ब्यौरा भी प्रस्तुत करने हेतु दिया है यथावत रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)